DOF-ENGC/1/2023-ENG

I/45145/2024

**मत्स्य निदेशालय**
**उत्तर प्रदेश**

पत्रांक- 349 / तक0 शा0/भवन ध्वस्तीकरण-नीलामी/2024-25 दिनांक 11/6/ 2024

## सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मत्स्य निदेशालय, 7-अयोध्या रोड, बाबूगंज, लखनऊ स्थित जर्जर वर्कशाप और स्टोर रूम को ध्वस्त करते हुये समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री को हटाकर कार्य स्थल को समतल एवं साफ करने सम्बन्धी सार्वजनिक नीलामी दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से की जायेगी। समस्त इच्छुक पंजीकृत फर्मे उक्त तिथि समय व स्थल पर आकर नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं। नीलामी की विस्तृत शर्तें किसी भी कार्यालय दिवस में निदेशालय के सूचना पट पर देखी जा सकती हैं। नीलामी की विस्तृत शर्तें विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। किसी कारणवश सार्वजनिक नीलामी दिनांक 09.07.2024 को सम्पन्न नहीं होने की दशा में उक्त नीलामी तिथि दिनांक 16.07.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे निर्धारित की जाती है।

## सार्वजनिक नीलामी की विस्तृत शर्तें

1. मत्स्य निदेशालय, 7-अयोध्या रोड, बाबूगंज, लखनऊ स्थित जर्जर वर्कशाप और स्टोर रूम को ध्वस्त कर सामग्रियो सहित नीलामी **"जहां है जैसा है"** की स्थिति में की जायेगी।
2. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता को Labour Registration Certificate, पैन, आधार कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।
3. नीलामी के पूर्व बोली बोलने वाले फर्म को निम्न तालिका के अनुसार जमानत की धनराशि रू0 9000.00 (रुपया नौ हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है।असफल बोलीदाता की जमानत की धनराशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

| विवरण | न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 में) | जमानत धनराशि (रू0 में) |
|---|---|---|
| जर्जर वर्कशाप और स्टोर रूम को ध्वस्त करते हुये समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री को हटाकर कार्य स्थल को समतल एवं साफ करने सम्बन्धी | 90,000.00 | 9000.00 |

4. बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व जर्जर भवन को देख सकते हैं। बोली के बाद कोई सुनवाई मान्य नहीं होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता बोली लगाने के बाद बोली की उच्चतम धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि उसी दिन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उच्चतम बोली की शेष धनराशि एव कुल बोली का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 बोली स्वीकृति के 07 दिनों के अन्दर कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा । अन्यथा की दशा में उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा बोली दाता का कोई दावा मान्य नही होगा।
6. उच्चतम बोली का अनुमोदन निदेशक मत्स्य के द्वारा किये जाने के उपरान्त जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण एवं निष्प्रयोज्य सामग्री को हस्तगत कराने की कार्यवाही के लिये आदेश निर्गत किया जायेगा , अन्यथा की दशा में धनराशि वापस कर दी जायेगी।
7. निष्प्रयोज्य जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण कर मलबा निस्तारण करते हुए कार्य स्थल को समतल एवं साफ करने का आरक्षित मूल्य रू0 90,000.00 है। उच्चतम बोली मूल्य का स्वीकृति आदेश निर्गत एवं पूर्ण धनराशि (जी0एस0टी सहित ) जमा कराने के बाद अधिकतम 30 दिन के अन्दर कार्य का निस्तारण कराना होगा। उपरोक्त कार्य का संतोषजनक सम्पादन के उपरान्त जमानत धनराशि बोली दाता को वापस कर दी जायेगी।
8. उच्चतम बोलीदाता को निष्प्रयोज्य जर्जर भवन का ध्वस्त कर मलबा निस्तारण कर कार्य स्थल को

समतल एवं साफ करने के कार्य को पूर्ण करते समय इस बिन्दु का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ध्वस्तीकरण के कार्य से समीप की अन्य भवन संरचनाओं, सीवर लाइन, पाइप लाइन आदि किसी भी प्रकार की क्षति न पहुॅचे तथा मलबा निस्तारण की प्रक्रिया से सामान्य क्रिया कलाप बाधित न हो अन्यथा जो भी नुकसान ध्वस्तीकरण के समय होगा उसकी भरपायी सम्बन्धित उच्चतम बोली दाता द्वारा किया जायेगा। ध्वस्त सामग्री के निस्तारण होने से पूर्व की अवधि में स्वयं के खर्च पर रखवाली/सुरक्षा करनी होगी। इस हेतु विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. भवन ध्वस्तीकरण कार्य हेतु किसी विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं किया जायेगा, यदि भवन ध्वस्तीकरण के दौरान कोई खजाना /पुरातत्व महत्व की बहुमूल्य सामग्री निकलती है, तो जिलाअधिकारी लखनऊ को तत्काल इसकी सूचना देनी होगी एवं उनके निर्देशानुसार उसे जमा कराना होगा।

10. नियमानुसार लेबर सेस देय होगा।

11. निदेशक मत्स्य की राय में यदि निष्प्रयोज्य जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण कार्य एवं सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो उस बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उनमें निहित होगा।

12. नीलामी स्थल पर मात्र बोलीदाता ही उपस्थित रह सकेंगे अन्य किसी को वहां अनुमति प्राप्त नहीं होगी एवं नीलामी स्थल पर अस्त्र/शस्त्र का लाना पूर्णतः वर्जित है।

13. नीलामी के दौरान नीलामी की शर्तों पर कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

Signed by
Noorus Saboor Rehmani
Date: 11-06-2024 13:27:29

नूरूस्सबूर रहमानी
निदेशक मत्स्य